भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या **1810**

(मंगलवार, **16** दिसंबर, 2025/**25** अग्रहायण, 1947(शक) को उत्तर के लए)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत नमक्कू नामे थ म योजना का व्यय सम्मि लत कया जाना

1810 श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है क "नमक्कू नामे थ म" के तहत त मलनाडु सरकार का सीएसआर व्यय कंपनी अ धनियम, **2013** की धारा **135,** अनुसूची **VII** के तहत अनुमत गति व धयों के अनुरूप हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केंद्र सरकार का त मलनाडु सरकार के "नमक्कू नामे थ म" के व्ययों को सीएसआर व्ययों में शा मल करने पर वचार करने का कोई प्रस्ताव है; और
(घ) इसे कार्यान्वित कए जाने की संभा वत समय-सीमा क्या है और इससे राज्य में सामुदायिक अवसंरचना, वशेषकर वद्यालय/महा वद्यालय और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, कस हद तक वक सत होने की संभावना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): सीएसआर के लिए कानूनी ढांचा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और अधिनियम की अनुसूची VII के माध्यम से प्रदान किया गया है। अनुसूची VII उन क्षेत्रों या विषयों को इंगित करती है जिन्हें कंपनियों द्वारा पात्र सीएसआर कार्यकलापों **के रूप में किया जा सकता है।**
(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
(घ): उपर्युक्त **(ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।**

******